न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास—डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या —93/2018
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर—2018/00131

अपीलान्ट/प्रार्थी **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण**

कमलादेवी पुत्री स्व. बलदेवराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति खाती निवासी हरसोलाव तहसील मेडता जिला नागौर हाल निवासी बाड़ा तहसील पींपाड जिला जोधपुर राज.

1. सुखराम पुत्र बलदेवराम जाति खाती निवासी हरसोलाव हाल निवासी ग्राम पूवाली तहसील मऊ जिला इन्दोर (मध्य प्रदेश)
2. रामकरण पुत्र सुखराम
3. रामप्रकाश पुत्र सुखराम
4. मंगलाराम पुत्र बलदेवराम जातियान खाती निवासीगण हरसोलाव तहसील मेडता जिला नागौर
5. रामजोत पुत्री सुखराम पत्नी मनोहरलाल जाति खाती नाड़सर वाले हाल रातिया की ढाणी भोपालगढ जिला जोधपुर
6. श्रीमति रहीसन पत्नी नसीर मोहम्मद जाति तेली निवासी गोटन तहसील मेडता जिला नागौर
7. श्रीमति उगमादेवी पत्नी मलाराम जाति जाट निवासी कडवासरों की ढाणी तहसील मेडता जिला नागौर के कायम मुकामान—

   7/1—रामपाल पुत्र मलाराम एवं उगमादेवी—पत्र निवासी कड़वासरों की ढाणी

   7/2—पप्पुड़ीदेवी पुत्री उगमादेवी व मलाराम कड़वासरा जाति जाट उम्र 55 वर्ष हाल पत्नी ढगलाराम सांगवा निवासी सांगवो की ढाणी तहसील मेड़ता

   7/3—रामीदेवी पुत्री उगमादेवी व मलाराम कड़वासरा जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी कड़वासरो की ढाणी हाल पत्नी अनोपराम [illegible] निवासी बारनीकलां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

   7/4—गीतादेवी पुत्री उगमादेवी व मलाराम कड़वासरा जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी कड़वासरो की ढाणी हाल पत्नी रामनिवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

खोखर निवासी गोटन तहसील मेड़ता जिला नागौर

7/5–सिंवरीदेवी पुत्री उगमादेवी व मलाराम कड़वासरा जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी कड़वासरो की ढाणी हाल पत्नी जीवणराम रलिया निवासी भोपालगढ़ जिला जोधपुर

8. बाबूड़ी पत्नी रामपाल जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढाणी तहसील मेडता जिला नागौर फौत के उतराधिकारी–
   8/1 रामपाल पुत्र मलाराम
   8/2 मुकेश पुत्र रामपाल
   8/3 श्रवण पुत्र रामपाल
9. शिवजीराम पुत्र चकुदेवी व रामचन्द्र
10. रामेश्वर पुत्र चकुदेवी व रामचन्द्र जाति खाती निवासीगण धनरेरिया तहसील रियांबडी जिला नागौर
11. पप्पुडी पुत्री चकुदेवी व रामचन्द्र पत्नी रामस्वरूप जाति खाती निवासी धांधलास
12. मुनकी पुत्री चकुदेवी व रामचन्द्र पत्नी सम्पत जाति खाती निवासी सिंधलास तहसील सांजू डेगाना जिला नागौर
13. विमला पुत्री चकुदेवी व रामचन्द्र पत्नी कैलाश जाति खाती निवासी सिंधलास, डेगाना जिला नागौर
14. तहसीलदार मेडता

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3 की ओर से वकील श्री विकम जोशी, रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 5 व 9 से 13 की ओर से वकील श्री रामस्वरूप विश्नोई, रेस्पोडेन्ट संख्या–14 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश **दिनांक :** 01/03/2021

अपीलांट ने द्वारा धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम हरसोलाव तहसील मेडता जिला नागौर के खसरा नम्बर 842, 3984, 4019, 3324 के संबंध में नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा दि[illegible].07.1987 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1129 के विरूद्ध यह अपील एवं [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील लाबेउज्र मियाद [illegible] रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] 7/3 व 7/5 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:27 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात् बाकायदा पिता के घर आती जाती रही। अपीलांट की बहिन चकुदेवी का माह दिसम्बर 2003 में देहान्त हुआ उससे पूर्व चकुदेवी के पति रामचन्द्र का देहान्त माह अक्टुम्बर 1998 में हो गया व चकुदेवी के पुत्र पुत्रीयां वारिस हुए। उक्त नामान्तरकरण को प्रस्तावित व स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया न ही इस नामान्तरकरण की ही भनक होने दी। अपीलांट का भाई सुखराम दो पुत्री व पुत्र पैदा होते ही कार्यवश राजस्थान प्रदेश से बाहर निवास करने लगा व परिवार से सम्पर्क नहीं रहा व सुखराम की पत्नी बडे पुत्र को हरसोलाव छोडकर पुत्र पुत्री के साथ पीहर जिला जोधपुर रहने लगी व इन परिस्थितियों में अपीलान्ट का अपने पीहर में आने की उत्सुकता कम हो गयी व अपीलांट जब हरसोलाव में आती तो भी ज्यादा नहीं ठहरती व इन परिस्थितियों में उक्त खसरान के नामान्तरकरण जैर अपील की अपीलांट को दिनांक 16.08.2018 से पहले कोई जानकारी नहीं हुई व दिनांक 16.08.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से सर्वप्रथम जानकारी हुई तत्पश्चात् दिनांक 17 से 19.08.2018 तक राजकीय अवकाश होने से उक्त अपील में मियाद जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होने से अपील अपीलांट तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2010(1) पेज 51–58, आर.आर.टी. 2013(1) पेज–473–475 प्रस्तुत किये।

वकील श्री रामस्वरूप विश्नाई ने वकील अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुऐ अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील श्री विक्रम जोशी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा म्यूटेशन जैर अपील आदेश दिनांक 24.03.87 के विरूद्ध यह अपील मयाद गुजरने के बाद करीब 30 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है, और अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं सन्तोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है। अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि वह अपने पिता की मृत्यू के पश्चात अपने पिता के घर आती जाती रही है, ऐसे में अपीलान्ट को 30 वर्ष पश्चात म्यूटेशन जैर अपील आदेश की जानकारी होना, कतई विश्वसनीय नहीं है। अपीलान्ट को म्यूटेशन जैर अपील आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलान्ट को म्यूटेशन जैर अपील आदेश की जानकारी किस स्त्रोत से हुई यह भी अपीलान्ट ने अपने आवेदन एवं बहस में स्पष्ट नहीं किया है, इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को म्यूटेशन जैर अपील आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, [illegible] करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील [illegible]लान्ट मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:27 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बाद गुजरने मयाद अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है, जो असधारण विलम्ब है, जिसका कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है, का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में बहस में कथन किया है कि नामान्तरकरण जैर अपील ओदश की अपीलांट को दिनांक 16.08.2018 से पहले कोई जानकारी नहीं हुई व दिनांक 16.08.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील आदेश दिनांक 24.03.87 की जानकारी किसके द्वारा एवं कब दी गई अन्यथा अपीलान्ट स्वंय को उक्त जानकारी अन्य किस माध्यम से अथवा किस कारण/स्त्रोत से हुई, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है, इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर आदेश की जानकारी होने के, माध्यम के तथ्य का अभाव है। उक्त तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर अपील आदेश की जानकारी तत्समय ही रही होना प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील आदेश दिनांक 24.03.87 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 21.08.2018 को अर्थात करीब 30 वर्ष पश्चात असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है। उक्त असाधारण विलम्ब के संबंध में कोई अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में सन्तोषजनक एवं ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वकील रेस्पोडेन्ट श्री विक्रम जोशी एवं राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है।

अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार मेड़ता को मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:27 IST
Reason: SelfAttested